



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2019/1992
ज़िला कलेक्टर,
समस्त (राजस्थान)।

जयपुर, दिनांक: 03.9.2019

विषय:- पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1413 दिनांक 19.8.2019 ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको पुनर्गठन हेतु प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात तैयार किये गए प्रस्ताव सम्भागवार दिनांक 05 सितम्बर से 07 सितम्बर, 2019 तक की अवधि में निर्धारित दिनांक को विभाग को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उपरोक्त कार्यक्रम को संशोधित करते हुए, निर्देशानुसार लेख है कि अब आप प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देशित प्रस्ताव एवं प्रपत्र आदि निम्नानुसार सम्भागवार निर्धारित दिनांक को विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें:-

नाम सम्भाग	निर्धारित दिनांक
कोटा, अजमेर एवं भरतपुर	16 सितम्बर, 2019
जयपुर एवं उदयपुर	17 सितम्बर, 2019
बीकानेर एवं जोधपुर	18 सितम्बर, 2019

आज्ञा से,

(गौस्व चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त(प्र01)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान ।
6. एसीपी कम उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त(प्र01)